राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांकः प.3(1)वित्त–1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट–I जयपुर, दिनांक : 10 नवम्बर, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलैक्टर्स सहित)

विषय :– कोविड–19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौती के संबंध में।

महोदय,

कोविड–19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 108/2020 दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.09.2020 के द्वारा माह सितम्बर, 2020 देय अक्टूबर, 2020 के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह कटौती किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

इस संबंध में निर्णय लिया गया है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुरूप ही आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा (आयुष) विभाग में पदस्थापित समस्त अधिकारी/कार्मिकों को माह नवम्बर, 2020 देय दिसम्बर, 2020 से वेतन कटौती से मुक्त किया जाता है।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. निजि सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
5. शासन सचिव, मंत्रिमण्डल, सचिवालय।
6. शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,राजस्थान,जयपुर।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आई.एफ.एम.एस.–पे मैनेजर पर आवश्यक प्रावधान कराये जाने हेतु।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान ।

शासन सचिव, वित्त (बजट)